न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

(1) प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 08/2019
दायर दिनांक : 08.05.2019
आदेश दिनांक : 22.05.2026

अनवान

संजय पिता श्री हस्तीमल जी, जाति चपलोत, उम्र 41 वर्ष, निवासी ठाकूरगढ़, सेवाली, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
— प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वन, ईकाई, आर.सी. व्यास, कौलोनी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)
3. नगर परिषद्, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द जरिये आयुक्त महोदय,
4. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द जिला राजसमन्द

— विपक्षीगण

(2) प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 09/2019
दायर दिनांक : 08.05.2019
आदेश दिनांक : 22.05.2026

अनवान

कंचन प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड, जरिये डायरेक्टर श्री पवन कुमार पिता श्री ख्याली लाल जी, जाति कोठारी, उम्र 41 वर्ष, निवासी रंग निवास, नई आबादी, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
— प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वन, ईकाई, आर.सी. व्यास, कौलोनी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)
3. नगर परिषद्, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द जरिये आयुक्त महोदय,
4. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द जिला राजसमन्द

— विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थित :–

1. श्री सुनिल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 02
4. श्री धनेन्द्र मेहता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 03
5. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 04

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 4 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर भीलवाड़ा से राजसमन्द तक चार लेन सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम जावद तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित भूमि आराजी संख्या 907/2 में से भूमि की अवाप्ति प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने पर भी विपक्षीगण की मिलीभगत से विधि–विरूद्ध की गयी है। विपक्षी संख्या 4 ने उन्हे किये एवं बिना पर्याप्त सुनवाई का उपस्थिति में मौका पर्चा बनाये ही नजरअन्दाज करते हुए प्रार्थी को बिना सूचित अवसर प्रदान करते हुए एवं बिना प्रार्थी की उपस्थिति में मौका पर्चा बनाये ही विधि–विरूद्ध पत्रावली/अधि. सू. क्रमांक 392 (अ), दिनांक 06.02.2015 दिनांक 14.05.18/18.05.18 को अनरिजन्ड, आलोच्य अवार्ड पारित कर प्रार्थी के बैंक खाते में क्रमशः दिनांक 15.03.2019 को रूपये 8,92,778 तथा दिनांक 11.04.2019 को रूपये 22,51,352/– रूपये में से टी.डी.एस. काट कर जमा करवाये गये है। जो मुआवजा राशि अपर्याप्त है। जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। विपक्षी संख्या 4 ने आलोच्य अवार्ड पारित करने से पूर्व कुछ रिक्त कागजो एवं कुछ रिक्त परफोरमा पर हस्ताक्षर करवाये और कहा कि आपको पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी एवं अवार्ड की सूचना दे दी जावेगी, परन्तु विपक्षी संख्या 4 द्वारा उक्त अलोच्य अवार्ड की कोई भी सूचना प्रार्थी को कभी नहीं दी और ना ही आलोच्य अवार्ड की प्रति ही प्रार्थी को प्रेषित की गयी और न ही उक्त आलोच्य अवार्ड से असंतुष्ट होने की अवस्था में श्रीमान् आप माध्यस्थ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के विकल्प की जानकारी प्रार्थी को दी गयी। उक्त आलोच्य अवार्ड की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को क्रमशः दिनांक 15.03.2019 व दिनांक 11.04.2019 को हुयी। जब प्रार्थी के बैंक खाते में राशि जमा हुयी है। विपक्षीगण आपस में हितबद्ध है, जिससे विपक्षी संख्या 4 का व्यवहार दोनो पक्षकारान् के प्रति समान नहीं रहा है और प्रार्थी को विपक्षीगण ने विद्वेषपूर्वक कई वर्षों तक परेशान किया है और प्रार्थी को द्वेषतावश नुकसान पहुंचाने की नियत से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दबाव मे लेकर गलत रिपोर्ट बनवाई तथा वास्तविकता एवं रिकॉर्ड से परे प्रार्थी की अवाप्त भूमि का विपक्षी संख्या 4 ने मुआवजे का निर्धारण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

व्यक्ति प्रार्थी सजंय चपलोत एवं 0.0348 हैक्टयर भूमि के हितबद्व व्यक्ति कंचन प्लाजा जरिये पवन कुमार के पक्ष में दिनांक 14.05.2018 को विधिवत अवार्ड जारी किया है। इसमे किसी प्रकार की मिलीभगत नही है और न ही जारी अवार्ड मे किसी प्रकार की अवैधानिकता ही है। प्रार्थी की जितनी भूमि अवाप्त की गई है, उसका प्रचलित DLC दर से अवार्ड जारी कर देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। मौके पर किसी प्रकार की निर्माण संरचना नही पायी जाने से निर्माण संरचना का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है तथा भुगतान मे किसी प्रकार की देरी नही की गई है। प्रार्थी ने बिना किसी आधार के गलत दोषरोपण किया है जिससे प्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि व्यावसायिक नही है तथा आवासीय होने से नियमानुसार प्रतिकर की गणना की गई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी जवाबदाता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं जवाबदाता को प्रार्थी से विशेष हर्जा–खर्चा दिलाया जावे।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 ने नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण द्वारा जारी की जाकर विपक्षीगण द्वारा अदायगी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि जारी की गयी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरूद्ध विपक्षीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं करायी गयी एवं विपक्षीगण द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विधिवत की गयी है। वि.स. 04 द्वारा भूमि अवाप्ति सम्बन्धी समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी एवं अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा राशि नियमानुसार तय किया है, जिसमें कोई अनियमितता नही हुई है। वि. सं. 04 द्वारा RFCTLARR ACT 2013 के तहत भुगतान किया है एवं ब्याज भी नियमानुसार दिया गया है। विपक्षी ने निर्धारित डीएलसी दर से मुआवजा तय कर अवार्ड जारी कर RFCTLARR ACT 2013 के तहत भुगतान किया है जबकि प्रार्थी अपने हिसाब से वर्तमान दर से भुगतान चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि जो मुआवजा राशि दी गई है वह अपर्याप्त है। और प्रार्थी उससे असंतुष्ट है। विपक्षी संख्या 4 ने मुआवजे का निर्धारण प्रार्थी की वास्तविक अवाप्त की गयी भूमि से काफी कम भूमि क्रमशः 0.0138 तथा 0.0348 हैक्टेयर का ही कम मुआवजा देरीना (Dealyed)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी की वास्तविक अवाप्त की गयी भूमि से काफी कम भूमि क्रमशः 0.0138 तथा 0.0348 हैक्टेयर का ही कम मुआवजा देरीना (Dealyed) तय कर दिया है तथा प्रार्थी के द्वारा निर्मित संरचना बाउण्ड्री वाल, गेट समतलीकरण इत्यादि का मुआवजा भी प्रार्थी को नहीं दिया गया है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रार्थी को RFCTLARR ACT 2013 के अनुसार मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। अवाप्त भूमि के बाजार मुल्य का अवधारण भी उक्त अधिनियम की धारा 26, 27 के अनुसार नहीं किया है और ना ही उक्त अधिनियम के अनुसार गुणक लगाया है और न तो पर्याप्त तोषण राशि (Solatium) उक्त अधिनियम की धारा 30 व 105 के अनुसार दिया है और न ही 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ताअदायगी बैंक की तरह कटमा ब्याज सहित पर्याप्त मुआवजा प्रार्थी को प्रदान किया है। प्रार्थी को दिनांक 14.05.2018 तक का ही 12 प्रतिशत वार्षिक की साधारण ब्याज दर से दिया गया है। जो उक्त प्रावधानुसार नहीं है। उक्त आराजीयात ग्राम जावद, नगर परिषद क्षेत्र में बस स्टेण्ड एवं एक बड़े प्राईवेट हॉस्पीटल के निकट मुख्य सड़क पर स्थित है तथा इसके आस–पास व्यवसायिक केन्द्र, दूकाने, शोरूम, गोदाम वर्षों पूर्व से स्थापित है। प्रार्थी भी अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग अपने गोदाम व्यवसाय में लम्बे समय से कर रहा है। जिससे प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा वर्तमान डी.एल.सी. रेट से 25 से 30 गुणा अधिक प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही उक्त राशि का 100 प्रतिशत ूंतक व विसंजपनउ भी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है तथा नोटिफिकेशन की दिनांक से अवार्ड राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी बैंक की तरह कटमा विधि से भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदन में वर्णितानुसार प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वास्तविक अवाप्त की गयी सम्पूर्ण भूमि एवं संरचना पर RFCTLARR ACT 2013 के अनुसार मुआवजा बढ़ोतरी फरमा कर प्रार्थी को प्रदान करावें तथा अन्य सहायता जो कानूनन प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हो, वह भी प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री धनेन्द्र मेहता ने उपस्थिति दी एवं विपक्षी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी। । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकारी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 3ए की अधिसूचना कमाक 500 (अ) दिनांक 20.02.2014 प्रकाशित कर प्राप्त आपत्तियो पर सुनवाई के पश्चात धारा 3 डी की अधिसूचना कमाक 392 (अ) दिनांक 06.02. 2015 द्वारा ग्राम जावद तहसील व जिला राजसंमद के खसरा संख्या 907/2 मे कुल 0.0486 हैक्टयर भूमि अवाप्त की गई जिसमे से 0.0138 हैक्टयर भूमि के हितबद्ध

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तय कर दिया है तथा प्रार्थी के द्वारा निर्मित संरचना बाउण्ड्री वाल, गेट समतलीकरण इत्यादि का मुआवजा भी प्रार्थी को नहीं दिया गया है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रार्थी को RFCTLARR ACT 2013 के अनुसार मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। अवाप्त भूमि के बाजार मुल्य का अवधारण भी उक्त अधिनियम की धारा 26, 27 के अनुसार नहीं किया है और ना ही उक्त अधिनियम के अनुसार गुणक लगाया है और न तो पर्याप्त तोषण राशि (Solatium) उक्त अधिनियम की धारा 30 व 105 के अनुसार दिया है और न ही 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ताअदायगी बैंक की तरह कटमा ब्याज सहित पर्याप्त मुआवजा प्रार्थी को प्रदान किया है। प्रार्थी को दिनांक 14.05.2018 तक का ही 12 प्रतिशत वार्षिक की साधारण ब्याज दर से दिया गया है। जो उक्त प्रावधानुसार नहीं है। उक्त आराजीयात ग्राम जावद, नगर परिषद क्षेत्र में बस स्टेण्ड एवं एक बड़े प्राईवेट हॉस्पीटल के निकट मुख्य सड़क पर स्थित है तथा इसके आस–पास व्यवसायिक केन्द्र, दूकाने, शोरूम, गोदाम वर्षों पूर्व से स्थापित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वास्तविक अवाप्त की गयी सम्पूर्ण भूमि एवं संरचना पर RFCTLARR ACT 2013 के अनुसार मुआवजा प्रार्थी को प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम जावद तहसील व जिला राजसंमद के खसरा संख्या 907/2 मे कुल 0.0486 हैक्टयर भूमि अवाप्त की गई जिसमे से 0.0138 हैक्टयर भूमि के हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थी सजंय चपलोत एवं 0.0348 हैक्टयर भूमि के हितबद्व व्यक्ति कंचन प्लाजा जरिये पवन कुमार के पक्ष में दिनांक 14.05.2018 को विधिवत अवार्ड जारी किया है। इसमे किसी प्रकार की मिलीभगत नही है और न ही जारी अवार्ड मे किसी प्रकार की अवैधानिकता ही है। प्रार्थी की जितनी भूमि अवाप्त की गई है, उसका प्रचलित DLC दर से अवार्ड जारी कर देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। मौके पर किसी प्रकार की निर्माण संरचना नही पायी जाने से निर्माण संरचना का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है तथा भुगतान मे किसी प्रकार की देरी नही की गई है। प्रार्थी ने बिना किसी आधार के गलत दोषरोपण किया है जिससे प्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि व्यावसायिक नही है तथा आवासीय होने से नियमानुसार प्रतिकर की गणना की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावे।

विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति संरचना अनुसार कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि अदा की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आधारहीन होने से पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति सम्बन्धी समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी एवं अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा राशि नियमानुसार तय किया है, जिसमें कोई अनियमितता नही हुई है।

वि. सं. 04 द्वारा RFCTLARR ACT 2013 के तहत भुगतान किया है एवं ब्याज भी नियमानुसार दिया गया है। विपक्षी ने निर्धारित डीएलसी दर से मुआवजा तय कर अवार्ड जारी कर RFCTLARR ACT 2013 के तहत भुगतान किया है जबकि प्रार्थी अपने हिसाब से वर्तमान दर से भुगतान चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन महन किया गया। हमने पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से तीन तर्क प्रस्तुत किए गए हैं :–

1. उसकी भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई है, वह भूमि का क्षेत्रफल जो अवाप्त की गई है, अधिक है, जबकि उसको मुआवजा कम भूमि का दिया गया है।
2. जो मुआवजा दिया गया है, वो RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं दिया गया है। उसे सोलेशियम (Solatium) का भुगतान नहीं किया गया है और 24 प्रतिशत ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।
3. भूमि पर जो निर्माण किया हुआ था यानी जो भूमि पर संरचनाएं थीं उसका मुआवजा उसको नहीं दिया गया है।

इस संबंध में हमारे द्वारा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजसमंद की मूल मुआवजा पत्रावली का अध्ययन किया गया। इस मुआवजा पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा स्वयं एक शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा स्वयं यह कथन किया गया है कि उसकी ग्राम जावद स्थित भूमि, खसरा नंबर 907/2 का रकबा क्रमशः 0.0138 तथा 0.0348 हैक्टेयर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त किया गया है। साथ ही, हमने इस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अवार्ड का भी अध्ययन किया। यह अवार्ड RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही जारी होना पाया जाता है क्योंकि इसमें भूमि की दर से ही मुआवजे का मूल्यांकन किया गया है। यह दर, जो भी डीएलसी (DLC) द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी दर का प्रयोग मुआवजे में किया गया है। भूमि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित होने से इस पर सोलेशियम का भुगतान भी नियमानुसार किया जाना पाया जाता है और इसमें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक 29.03.2014 से 14.05.2018 तक का ब्याज भी उसे प्रदान किया गया है। प्रार्थी श्री संजय चपलोत द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में स्वयं उसने अंकित किया गया है कि उसकी अवाप्त की जाने वाली भूमि पर कोई संरचना स्थित नहीं है अर्थात संरचना के कॉलम में उनके द्वारा डैश (-) स्वयं अंकित किया गया है। एवं प्रार्थी श्री पवन कुमार कोठारी द्वारा कंचन प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपनी संरचना की कीमत रूपये 18,508/– बताई गई है और इसी के आधार पर कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा इन्हें रूपये 18,508 का भुगतान भी कर दिया गया है, जिसकी मुआवजा प्राप्ति रसीद भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अतः, इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों ही तर्क दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द